न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेंस / एलआर / 5826 / 2004 / पाली

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली

...प्रार्थी

बनाम

1— मेराराम पुत्र भंवरलाल
2— तेजाराम पुत्र भंवरलाल
3— ओगड़राम पुत्र भंवरलाल नाबालिग जरिये प्राकृति वली माता राजूड़ी बेवा भंवरलाल
4— प्रकाशचन्द पुत्र भंवरलाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक वली माता राजूड़ी बेवा भंवरलाल
समस्त जाति माली निवासी ग्राम बिकरलाई तहसील जैतारण जिला पाली।
5— मांगूदास पुत्र भागूदास
6— हंसराज पुत्र भागूदास
7— जेठूदास पुत्र भागूदास
8— श्रीमती सुशिला पत्नी खींवदास
9— हुकमदास पुत्र भागूदास
10— भेरूदास पुत्र मोहनदास
11— बाजू पुत्र मोहनदास
12— रूपदास पुत्र मोहनदास
13— केवलदास पुत्र मोहनदास
समस्त जाति साद निवासी बिकरलाई तहसील जैतारण जिला पाली।

...अप्रार्थीगण

एकल पीठ

श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य

उपस्थितः—
श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत, उप राजकीय अभिभाषक, सरकार की ओर से।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

———————

दिनांकः 07—1—2021

निर्णय

यह रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 1 / 2001 में पारित आदेश दिनांक 29—9—2004 की अभिशंषा में पेश किया गया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है तहसीलदार, जैतारण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रैफरेंस प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम बिकरलाई तहसील जैतारण जिला पाली की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011—2030 में हाल खसरा संख्या 35, 258 व 38 रकबा 9 बीघा 9

बिस्वा डोली श्री गोपालजी महाराज वाके देह बएतमाम पुजारी मांगूदास, मोहनदास पिसरान मंगलदास कौम खुदकाश्त थी। उक्त भूमि के खसरा नम्बर 258 रकबा 3–6 बीघा का बेचान जरिये नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 18–11–1969 को अप्रार्थी के पक्ष में किया गया। अतः भूमि से अप्रार्थीगण का नाम हटाया जाकर डोली श्री गोपाल जी महाराज के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गये, अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए, उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 29–9–2004 द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है। इस न्यायालय द्वारा रेफरेंस दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये परन्तु बावजूद तामील वे अनुपस्थित रहे।

4. रेफरेंस पर उप–राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

5. योग्य उप–राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि मंदिर मूर्ति के खातेदारी की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के तहत मन्दिर/मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना है। ऐसी भूमि को किसी भी कानून के तहत अन्य व्यक्ति के नाम इन्द्राज नही किया जा सकता है। तत्कालीन समय में हल्का पटवारी द्वारा काटछांट कर मन्दिर/मूर्ति की भूमि को निजी व्यक्ति के खाते में अभिलिखित किया गया है जो विधि के सर्वथा विपरीत होकर प्रारम्भ से ही शून्य है। इस प्रकार तत्कालीन समय में हल्का पटवारी व भूप्रबन्ध विभाग द्वारा जो इन्द्राज किया गया उसे हटाया जाना आवश्यक है। बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार का परिर्वन करने का कोई अधिकार नही था। अतः हाल आराजी से विपक्षीगण के नाम को हटाया जाकर पुनः डोली श्री गोपाल जी महाराज के नाम दर्ज करने के आदेश प्रसारित किये जावें।

6. मैने योग्य उप–राजकीय अधिवक्ता के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम बिकरलाई तहसील जैतारण़ की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–30 में विवादित आराजी कॉलम भूमि अधिकारी में डोली श्री गोपालजी महाराज बअहतमाम मांगूदास व मोहनदास पिसरान मंगलदास कोम साद के नाम दर्ज है व कॉलम कृषक में डोली श्री गोपाल जी महाराज दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2019–2022 के अनुसार आराजी डोली श्री गोपाल जी महाराज के नाम दर्ज थी। इस प्रकार मंदिर मूर्ति की भूमि का बेचान व तत्कालीन पटवारी हल्का एवं भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गए इन्द्राज पूर्णतया नियमों के विरुद्ध है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1955 की धारा 46 के तहत मंदिर/मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। मन्दिर/मूर्ति की भूमि को तत्कालीन पटवारी हल्का एवं भू प्रबन्ध विभाग द्वारा इन्द्राजों को परिवर्तित कर निजी व्यक्ति के खाते में दर्ज किया गया है, जो कि पूर्णतया नियमों के विरुद्ध है। परिणामतः इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः रैफरेंस स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण के नाम किये इन्द्राजात निरस्त किये जाते है तथा ग्राम बिकरलाई तहसील जैतारण़ के खसरा नंबर 35, 258 व 38 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा भूमि से अप्रार्थीगण की खातेदारी हटाई जाकर वापिस डोली श्री गोपाल जी महाराज के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

9. आदेश की सूचना योग्य अधिवक्ता को दी जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

10. पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र कुमार पारख)
सदस्य